P-1 धारा 3. प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण सम्बन्धी कतिपय नियम-

Manendra Mandal
Part time Lecturer

Subject - Contract-1
Part - I

प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण सम्बन्धी कतिपय नियमों का, जो इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रतिपादित किये गये हैं उसका उल्लेख किया जाता ये नियम निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रत्येक संविदा के लिए दो बातें आवश्यक है - प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण से मिलकर 'वचन' बनता है। वचन में प्रतिफल का समावेश हो जाने से वह 'करार' का रूप ले लेता है और विधितः प्रवर्तनीय करार 'संविदा कहलाती है।

(ii) प्रस्थापना सामान्य अथवा विनिर्दिष्ट हो सकती है, अर्थात यह किसी व्यक्ति विशेष से की जा सकती है और समूचे संसार से भी।
इस विषय और नियम के संदर्भ में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कम्पनी का एक मामला महत्वपूर्ण है।

(iii) प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण से एक दूसरे पक्षकार को संसूचित किया जाना अनिवार्य है।
संसूचना अभिव्यक्त, विवक्षित अथवा आचरण द्वारा दी जा सकती है।

(iv) किसी प्रस्थापना को तब-तक प्रतिग्रहीत नहीं किया जा सकता जब तक कि acceptor को इससे संसूचित नहीं कर दिया जाये।

(v) प्रतिग्रहण की संसूचना भी Proposer को दिया जाना आवश्यक है। यह अभिव्यक्त, विवक्षित अथवा आचरण द्वारा हो सकती है।

(vi) यदि किसी संविदा में कोई विशेष शर्तें हों तो दूसरे पक्षकार को उसकी संसूचना दिया जाना आवश्यक है।

(vii) प्रस्थापना इस प्रकृति की हो कि वह वैध संविदा का गठन कर सके।

(viii) प्रतिग्रहण का acceptor द्वारा विहित रीति में किया जाना आवश्यक है

(ix) प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण को यथासमय विखण्डित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner